



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2009/श्रावण 6, 1931

No. 432]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2009/SRAVANA 6, 1931

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 553(अ).—भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का निपटान) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के एक पीठासीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री आर.एस. गर्ग को भोपाल गैस रिसाव हादसे के पीड़ितों के कल्याण हेतु आयुक्त का समवर्ती प्रभार संचालने हेतु उनके कार्यकाल का 21 जून, 2009 से 18 जून, 2010 तक की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, विस्तार करती है।

[फा. सं. 21/21/2002-भोपाल सेल]

बी. पी. पांडेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2009

G.S.R. 553(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby extends the tenure of Shri Justice R.S. Garg, a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the Victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period from 21st June, 2009 to 18th June, 2010 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 21/21/2002-B. Cell]

B.P. PANDEY, Jt. Secy.